<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

दिनांक : 21.08.2018

आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 28.03.2018 में उल्लेखित अध्यापन अनुभव/शैक्षणिक योग्यता/अन्य के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा याची अभ्यर्थियों के उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं। पारित अन्तरिम आदेशों के अनुक्रम में आयोग द्वारा याची अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः पत्र भेजकर, प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कर तथा आयोग की वेबसाइट पर अपने ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन निर्धारित समयावधि में आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, तदुपरान्त भी कतिपय याचिकाओं के याची अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक अपने ऑफलाईन आवेदन(ऑनलाईन नहीं भरने के कारण) आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है, इन याचिकाओं के याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट **<u>https://rpsc.rajasthan.gov.in/</u>** पर उपलब्ध है :—

SBCWPNO. 666/18, 5744/18, 5875/18, 5879/18, 5911/18, 6121/18, 6239/18, 6240/18, 6295/18, 6317/18, 6338/18, 6352/18, 6370/18, 6380/18, 6381/18, 6392/18, 6409/18, 6452/18, 6628/18, 6779/18, 7016/18, 7031/18, 9276/18, 9320/18, 9588/18, 9594/18, 9718/18, 9722/18, 9726/18, 9743/18, 9839/18, 9983/18, 10084/18, 10110/18, 10207/18, 10230/18, 10231/18, 10296/18, 10302/18, 10490/18, 10564/18, 10584/18, 10789/18, 11040/18, 11387/18, 11468/18

आयोग द्वारा उक्त पदों की परीक्षा दिनांक 02.09.2018 को आयोजित की जा रही है। अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त रिट याचिकाओं एवं अन्य याचिकाओं के **<u>वे याचीगण जिन्होनें न तो ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा है और न ही ऑफलाईन आवेदन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया है,</u>** ऐसे याची दिनांक 24.08.2018 तक अपना ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्ति करते हुए मय कोर्ट ऑर्डर के आयोग कार्यालय के कमरा नं0 32 में आवश्यक रूप से जमा करा देवें ताकि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जा सके। **<u>उक्त दिनांक तक अपना ऑफलाइन आवेदन आयोग को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा,</u>** जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची की होगी।

(पी.सी.बेरवाल)
सचिव